

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपंत्राक— सी— 05 /ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा /2018—19 दिनांक : 05.04.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्र0का0, लखनऊ

अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सी— 32 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त वित्तीय लेन देन को डिजिटल माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके कम में बैंक से सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान RTGS / NEFT के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के कम में समस्त शाखा प्रबन्धको को निर्देशित किया जाता है कि शाखा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का, सेवानिवृत्त होने के एक माह पूर्व निम्न प्रारूप पर सूचना सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	विवरण
1	कार्मिक का नाम
2	बैंक खाता संख्या
3	बैंक का नाम
4	आई एफ एस कोड(IFSC)
5	निरस्त चेक
6	बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छाया प्रति

उपरोक्त सूचना प्रेषित करना सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

ह0/-
(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उक्त परिपत्र समस्त शाखाओं को ई मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक (प्रश्न0) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रश्न0 केन्द्र, लखनऊ।
3. प्रबन्धक श्रेणी—3(से0नि�0प्रकोष्ठ) प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ कि समस्त सेवानिवृत्त कर्मियों की उक्त सूचना ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी प्रधान कार्यालय उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।

ह0/-
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)